रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 28—सितम्बर 3, 2004 (भाद्रपद 6, 1926)
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 28—SEPTEMBER 3, 2004 (BHADRA 6, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 19 अगस्त 2004

एसबीबी. क्र. 4/2004--भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 959 की धारा 63 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने समनुषंगी बैंक साधारण विनियमन, 1959 के विनियम 42 में निम्नलिखित संशोधन किया है, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर/हैदराबाद/इन्दौर/मैसूर/पटियाला/सौराष्ट्र/त्रावणकोर के निदेशक मंडलों द्वारा अनुमोदित है :--

2. यह विनियम दिनांक 15.1.04 से प्रवृत हुआ समझा जाएगा।

विनियम 42

"समनुषंगी बैंक का ऐसा निदेशक जो सरकार या रिज़र्व बैंक या स्टेट बैंक (.....) का कोई अधिकारी नहीं है, समनुषंगी बैंक द्वारा निम्नलिखित फीस पाने का हकदार होगा :

(क) बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए : प्रत्येक अधिवेशन के लिए 5000 रुपये।

(ख) समनुषंगी बैंक की कार्यपालिका समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए : प्रत्येक अधिवेशन के लिए 2500/- रुपये।

(ग) समनुषंगी बैंक की कोई अन्य समिति में उपस्थित होने के लिए या उस बैंक का कोई अन्य कार्य करने के लिए : प्रत्येक अधिवेशन के लिए 2500/- रुपये।"

केन्द्रीय निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ए. जी. कलमनकर
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक
(सहयोगी एवं अनुषंगी समूह)

पंजाब नैशनल बैंक
प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 2004

सं. पेंशन/विविध/2004--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब नैशनल बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से पंजाब नैशनल बैंक अधिकारी (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में पुन: संशोधन हेतु एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. (1) ये विनियम पंजाब नैशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004।

2. (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पंजाब नैशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1955 में,

(क) विनियम 2 के उप-विनियम (ध) के लिए खण्ड (ख) में उप खण्ड (iii) के बाद निम्नलिखित उप-खण्ड शामिल किया जाएगा : अर्थात् :

"(iv) 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक के 1148 अंकों तक परिकल्पित मंहगाई भत्ता,"

(ख) विनियम 41 में उप-विनियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात् :

"(6) जो आवेदक अधिवार्षिता पेंशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अशक्त पेंशन या अनुकम्पा भत्ता के लिए प्राधिकृत है, वह इन विनियमों के अंतर्गत अपनी पेंशन के एक हिस्से को संराशीकृत करने का पात्र होगा;

परन्तु, 1.7.2003 को या से, जिस आवेदक के मामले में पेंशन का संराशीकृत मूल्य उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन या संराशीकरण पूर्ण होने की तारीख से देय होता है, संराशीकरण के कारण पेंशन की रकम में कमी उसके प्रारम्भ की तारीख से ही लागू होगी। तथापि, जहां संराशीकृत पेंशन की रकम का भुगतान, यथास्थिति सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले माह या संराशीकरण पूर्ण होने की तारीख से पहले माह के भीतर नहीं होता है वहां मासिक पेंशन और संराशीकृत पेंशन के अंतर का भुगतान, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से या संराशीकरण पूर्ण होने की तारीख से, जिस तारीख को संराशीकृत पेंशन को प्रदत्त माना गया है, उससे पिछली तारीख तक किया जाएगा।"

पाद टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 29.9.1995 को (असाधारण) प्रकाशित हुए थे तथा परवर्ती संशोधन राजपत्र में निम्नानुसार प्रकाशित हुए :

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक
01.	13	27.03.1999
02.	71	08.04.2002
03.	03	18.01.2003

पी. के . मित्रा
महाप्रबन्धक

इण्डियन ओवरसीज बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

चेन्नइ, दिनांक 30 जुलाई 2004

सं. औ.सं.वि./184/125/2004-05--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा 2 के साथ पठित, धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम 1976 में संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ : (1) ये विनियम इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 कहलाएंगे। (2) ये विनियम 'सरकारी राजपत्र' में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में, विनियम 17 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"17 अपील : (1) एक अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में निर्धारित अपने ऊपर लगाए गए किसी भी दण्ड या विनियम 12 में उल्लिखित निलंबन आदेश के खिलाफ, आदेश मिलने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

परन्तु, यदि अपील प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण है तो वह उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है।

(2) अपीलकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत की जाएगी, जिसकी एक प्रति उस अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी, जिसने निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश दिया था। इस अपील में पूरी विवरण सामग्री एवं बहस के वे मुद्दे होंगे जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है परन्तु उसमें कोई भी अपमानजनक अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी और यह अपने आप में पूर्ण होगी।

(3) निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाला प्राधिकारी अपीलकर्ता से अपील की प्राप्ति होने पर उसे, अपने टिप्पणियों और

संबंधित रिकॉर्ड के साथ, अपील प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4) निर्णय के विरूद्ध अपील करने का आदेश देने वाले प्राधिकारी से मामले पर टिप्पणियां एवं रिकार्ड प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या स्थगन आदेश/निष्कर्ष न्यायसंगत है या क्या दण्ड बहुत अधिक या अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा। अपील प्राधिकारी दण्ड / निलंबन की पुष्टि करने, उसमें वृद्धि करने, कमी करने या उसे अलग रखने का आदेश पारित कर सकता है या मामले को, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे गए निदेशों सहित, जिस अधिकारी ने दण्ड लगाया था उसके पास या किसी अन्य अधिकारी के पास भेज सकता है।

परन्तु,

(i) यदि बढ़ाया हुआ दण्ड, जो अपील प्राधिकारी लगाने हेतु प्रस्तावित करता है, विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित अनुसार, कोई बड़ा दण्ड है और विनियम 6 में दिए गए अनुसार मामले में पहले कोई जांच नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी निदेश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार मामले की ऐसी जांच की जानी चाहिए और उसके पश्चात् जांच के रिकार्ड पर विचार-विमर्श करेगा तथा जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगा;

(ii) यदि अपील प्राधिकारी दण्ड बढ़ाने का निर्णय लेता है परंतु विनियम 6 में दिए गए अनुसार जांच पहले ही की जा चुकी है, तो अपील प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि बढ़ाया हुआ दण्ड उस पर क्यों न लगाया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता से अपील प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उसका निपटान करेगा :

परन्तु, इस विनियम में उल्लिखित समय-सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता से संबंधित हों और जहां अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध छोटी/बड़ी दण्ड कार्रवाई, मामले की जांच कर रही पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो या केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जैसा भी मामला हो, द्वारा की गई सिफारिशों पर आरम्भ की गई हो।

(6) 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित मामलों की अपील प्राधिकारी द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी और मामलों को निपटाए न जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

टिप्पणी : इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में पहले किए गए संशोधन राजपत्र में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे :

क्र. सं.	अधिसूचना सं.	दिनांक
1.	21	27.05.1989
2.	20	19.05.1990
3.	38	20.09.1997
4.	44	28.10.2000
5.	18	05.05.2001

बी. स्वामिनाथन
महा प्रबन्धक

सिंडीकेट बैंक

मणिपाल, दिनांक 27 जुलाई 2004

सं. 1281/पीडी:आइआरडी (ओ)/0089/विनियम 17--बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा 2 के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंडीकेट बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से सिंडीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम 1976 में आगे संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ : (1) ये विनियम सिंडीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) विनियम, 2004 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम 'सरकारी राजपत्र' में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सिंडीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में, विनियम 17 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"17 अपील : (1) एक अधिकारी कर्मचारी विनियम 4 में निर्धारित अपने ऊपर लगाए किसी भी दण्ड या विनियम 12 में उल्लिखित निलंबन आदेश के खिलाफ, आदेश मिलने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

परन्तु, यदि अपील प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील न कर पाने का पर्याप्त कारण है तो वह उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है।

(2) अपीलकर्ता द्वारा अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत की जाएगी, जिसकी एक प्रति उस अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी, जिसने निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश दिया था। इस अपील में पूरी विवरण सामग्री एवं बहस के वे मुद्दे होंगे जिन पर अपीलकर्ता निर्भर करता है परन्तु उसमें कोई भी अपमानजनक अथवा अनुचित भाषा नहीं होगी और यह अपने आप में पूर्ण होगी।

(3) निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाला प्राधिकारी, अपीलकर्ता से अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसे, अपनी टिप्पणियों और संबंधित रिकॉर्ड के साथ, अपील प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(4) निर्णय के विरुद्ध अपील करने का आदेश देने वाले प्राधिकारी से मामले पर टिप्पणियां एवं रिकार्ड प्राप्त होने पर, अपील प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या स्थगन आदेश/निष्कर्ष न्यायसंगत हैं या क्या दण्ड बहुत अधिक या अपर्याप्त है और उचित आदेश पारित करेगा। अपील प्राधिकारी दण्ड/निलंबन की पुष्टि करने, उसमें वृद्धि करने, कमी करने या उसे अलग रखने का आदेश पारित कर सकता है या मामले को, मामले की परिस्थितियों में उचित समझे गए निदेशों सहित, जिस अधिकारी ने दण्ड लगाया था उसके पास या किसी अन्य अधिकारी के पास भेज सकता है।

परन्तु,

(i) यदि बढ़ाया हुआ दण्ड, जो अपील प्राधिकारी लगाने हेतु प्रस्तावित करता है, विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित अनुसार, कोई बड़ा दण्ड है और विनियम 6 में दिए गए अनुसार मामले में पहले कोई जांच नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी निदेश देगा कि विनियम 6 के प्रावधानों के अनुसार मामले की ऐसी जांच की जानी चाहिए और उसके पश्चात् जांच के रिकार्ड पर विचार-विमर्श करेगा तथा जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगा;

(ii) यदि अपील प्राधिकारी दण्ड बढ़ाने का निर्णय लेता है परंतु विनियम 6 में दिए गए अनुसार जांच पहले ही की जा चुकी है, तो अपील प्राधिकारी अधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि बढ़ाया हुआ दण्ड उस पर क्यों न लगाया जाए और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा।

(5) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता से अपील प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर उसका निपटान करेगा :

परन्तु, इस विनियम में उल्लिखित समय-सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जो सतर्कता से संबंधित हों और जहां अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध छोटी/बड़ी दण्ड कार्रवाई, मामले की जांच कर रही पुलिस या केन्द्रीय जांच ब्यूरो या केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जैसा भी मामला हो, द्वारा की गई सिफारिशों पर आरम्भ की गई हो।

(6) 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित मामलों की अपील प्राधिकारी द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाएगी और मामलों को निपटाए न जाने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

अलेन सी. ए. पिरेरा
महा प्रबंधक (का)

पाद टिप्पणी : सिंडीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 में पहले किए गए संशोधन राजपत्र में निम्नलिखित विवरण कि अनुसार प्रकाशित किए गए थे :

क्र. सं., अधिसूचना सं. तथा दिनांक

1. 1129/0089/पीडी:आइआरडी(ओ) दि. 13.4.98--अंक सं. 18 दि. 2.5.1998।

2. 4268/0089/पीडी:आइआरडी(ओ)/विनियम 6(2) दि. 29.11.2000--अंक सं. 53 दि. 30.12.2000।

3. 1384/पीडी:आइआरडी(ओ)/0089/विनियम 18 दि. 27.4.2001--अंक सं. 22 दि. 2.6.2001।

4. 1385/पीडी:आइआरडी(ओ)/0089/विनियम 6 दि. 27.4.2001--अंक सं. 22 दि. 2.6.2001।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

ई.एस.आई. अस्पताल कॉम्प्लैक्स

सैक्टर-2, परवाणू (हि. प्र.)

परवाणू, दिनांक 27 जुलाई 2004

सं. हि. प्र. 14.बी.34/13/1/86-प्रशा.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, क्षेत्रीय बोर्ड हिमाचल प्रदेश ने बरोटीवाला और बद्दी क्षेत्र (जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का अध्याय 4 व 5 पहले से ही लागू हैं) की स्थानीय समिति का गठन किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगी।

अध्यक्ष

विनियम 10-ए (1) (ए) के अधीन

1. उप मण्डल अधिकारी, (सिविल) नालागढ़,
जिला सोलन।

सदस्य

विनियम 10-ए (1) (बी) के अधीन

2. श्रम निरीक्षक, बद्दी,
जिला सोलन (हि. प्र.)।

विनियम 10-ए (1) (सी) के अधीन

3. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,
कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, बरोटीवाला,
जिला सोलन (हि. प्र.)।

विनियम 10-ए (1) (डी) के अधीन

4. श्री अश्विनी शर्मा, चीफ मैनेजर (पी)
मैसर्स औरो स्पिनिंग मिल्स, बद्दी,
जिला सोलन (हि. प्र.)।

5. श्री मनोहर तेगता,
मैसर्स यूनिकम लेबोरेटरीज लि., बद्दी,
जिला सोलन (हि. प्र.)।

विनियम 10-ए (1) (ई.) के अधीन

6. श्री गोपाल शर्मा, प्रेसिडेंट,
राजा फोर्जिंग वर्कर्स यूनियन,
के/आफ मैसर्स राजा फोर्जिंग लि., बद्दी,
जिला सोलन (हि. प्र.)।

7. श्री श्याम ठाकुर, प्रेसिडेंट,
पामवी वर्कर्स यूनियन,
के/आफ पामवी टिसूज, झारमाजरी,
बरोटीवाला, जिला सोलन (हि. प्र.)।

विनियम 10-ए (1) (एफ) के अधीन

सदस्य सचिव

8. शाखा प्रबंधक, ई.एस.आई. कार्पोरेशन,
बद्दी (हि. प्र.)।

आज्ञा से
अरुण कुमार
क्षेत्रीय निदेशक

सं. हि. प्र. 14.बी.34/13/1/86-प्रशा.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, क्षेत्रीय बोर्ड हिमाचल प्रदेश ने परवाणू क्षेत्र जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का अध्याय 4 व 5 पहले से ही लागू हैं, की स्थानीय समिति का गठन किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

अध्यक्ष

विनियम 10-ए (1) (ए) के अधीन

1. सहायक आयुक्त, परवाणू,
जिला सोलन (हि. प्र.)।

सदस्य

विनियम 10-ए (1) (बी) के अधीन

2. श्रम निरीक्षक, परवाणू,
हिमाचल प्रदेश।

विनियम 10-ए (1) (सी) के अधीन

3. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी,
ई.एस.आई. अस्पताल, परवाणू।

विनियम 10-ए (1) (डी) के अधीन

4. श्री बी. एन. कटारिया, प्रेसिडेंट,
पी. एण्ड ए., कालिमा प्लास्टिक,
परवाणू, जिला सोलन (हि. प्र.)।

5. श्री बलविन्दर सिंह, मैनेजर,
गैब्रिएल इण्डिया लि.,
परवाणू, जिला सोलन (हि. प्र.)।

विनियम 10-ए (1) (ई) के अधीन

6. श्री अमरजीत सिंह बावा, प्रेसिडेंट,
आई.एन.टी.यू.सी., एच.पी.,
परवाणू, जिला सोलन।

7. श्री गुलजार सिंह,
गैब्रिएल इण्डिया लि.,
परवाणू, जिला सोलन (हि. प्र.)।

विनियम 10-ए (1) (एफ) के अधीन

सदस्य सचिव

8. शाखा प्रबंधक,
ई.एस.आई. कार्पोरेशन, परवाणू (हि. प्र.)।

आज्ञा से
अरुण कुमार
क्षेत्रीय निदेशक

परवाणू, दिनांक 27 जुलाई 2004

सं. हि. प्र. 14.बी.34/13/86-प्रशा.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष, क्षेत्रीय बोर्ड हिमाचल प्रदेश ने (सोलन) क्षेत्र जहां कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का अध्याय 4 व 5 पहले से ही लागू है, की स्थायी समिति का गठन किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी।

अध्यक्ष

विनियम 10-ए (1) (ए) के अधीन

1. उप मण्डल अधिकारी, (सिविल),
सोलन, हिमाचल प्रदेश।

सदस्य

विनियम 10-ए (1) (बी) के अधीन

2. श्रम निरीक्षक,
सोलन, हिमाचल प्रदेश।

विनियम 10-ए (1) (सी) के अधीन

3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
ई.एस.आई. डिस्पैंसरी, सोलन।

विनियम 10-ए (1) (डी) के अधीन

4. कु. पूनम शर्मा, सीनियर मैनेजर (पी एण्ड ए),
मैसर्स पी. ए. पीनीयन, धर्मपुर,
जिला सोलन (हि. प्र.)।

5. ब्रिगे. एच. एस. सिधू,
मैसर्स शिवालिक बायोमेटल,
बाई पास, चम्बाघाट,
जिला सोलन (हि. प्र.)।

विनियम 10-ए (1) (ई) के अधीन

6. श्री अशोक कुमार सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट,
आई.एन.टी.यू.सी., सोलन,
जिला सोलन।

7. श्री बलवन्त गुलेरिया,
वायरलाइन, एच.एफ.सी.एल. चम्बाघाट,
जिला सोलन (हि. प्र.)।

विनियम 10-ए (1) (एफ) के अधीन

सदस्य सचिव

8.शाखा प्रबंधक, ई.एस.आई. कार्पोरेशन,
परवाणू (हि. प्र.)।

आज्ञा से
अरुण कुमार
क्षेत्रीय निदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 12 अगस्त 2004

सं. के. भ. नि. आ. 1(4)/2116/2004/एमएच--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति व सह की तिथि	
1.	एमएच/एबी/81340	मै. एक्सल सर्विस	08.07.03	08.07.03
2.	एमएच/46771	मै. फाई वेयर इंडिया लि.	05.08.03	05.08.03
3.	एमएच/46328	मै. कलपतूरा इन्जीनियरस	16.09.02	16.09.02
4.	एमएच/एनके/52271	मै. ऊर्जा इलैक्ट्री-कलस	15.12.03	15.12.03
5.	एमएच/एबी/81471	मै. तायो लूकिड प्रा. लि.	11.02.04	11.02.04
6.	एमएच/46869	मै. अभय लक्ष्मी को.-आप. क्रेडिट सोसाईटी लि.	01.02.04	01.02.04
7.	एमएच/46748	मै. इटोचू पेट्रोलियम क. प्रा. लि.	01.08.03	01.08.03

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. के. भ. नि. आ. 1(4)/2119/2004/टी. एन.--केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र. सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति व सह की तिथि	
1.	टी टन/38013	मै. श्री सेन्थिल ट्रासपोर्टस	01.10.96	01.10.96
2.	टीएन/43622	मै. इनफैंट जीसस इंगलिश स्कूल	07.06.00	07.06.00
3.	टीएन/43623	मै. जेयम नर्सिंग होम	12.06.00	12.06.00
4.	टीएन/43626	मै. आरती होस्पिटल	30.06.00	30.06.00
5.	टीएन/50590	मै. दि तामिल नाडू एजी ओफिस स्टाफ का-ओप. क्रेडिट सोसाईटी लि.	11.12.03	11.12.03
6.	टीएन/50616	मै. एस. एम. एस. एन्टर प्राईसिस	11.02.04	11.02.04
7.	टीएन/50246	मै. प्राविसल कंसट्र-क्शन एण्ड एन्टर प्राईसिस (प्रा.) लि.	06.03.03	06.03.03

अत: केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

STATE BANK OF INDIA

MUMBAI, the 19th August 2004

No. SBD-4/2004—In exercise of the powers under Sub-section (1) of Section 63 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, and as approved by the Reserve Bank of India and the Board of Directors of State Bank of Bikaner & Jaipur/Hyderabad/Indore/Mysore/Patiala/Saurashtra/ Travancore, the State Bank of India has made the following amendement in Regulation 42 of Subsidiary Banks General Regulations, 1959.

2. The amendment shall be deemed to have come into force w.e.f. 15th Jaunary 2004.

Regulation 42

"A director of a subsidiary bank not being an officer of Government, the Reserve Bank, the State Bank [.....] shall be entitled to be paid fees by the subsidiary bank as follows :

(a) For attending meetings of the Board Rs. 5000/- for each meeting.

(b) For attending meetings of the Executive Committee of the subsidiary bank-Rs. 2500/- for each meeting.

(c) For attending meetings of any other committee or to any other work of the subsidiary bank-Rs. 2500/- for each meeting."

By the Order of the Central Board
A. G. KALMANKAR
Dy. Managing Director &
Group Executive (A&S Group)

PUNJAB NATIONAL BANK

HEAD OFFICE, NEW DELHI

New Delhi, the 12th August 2004

No. Pension/Misc/2004—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Punjab National Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab National Bank (Employee's) Pension Regulations, 1995, namely :—

1. (1) These Regulations may be called Punjab National Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the dae of their publication in the Official Gazette.

2. In the Punjab National Bank (Employees') Pension Regulations, 1995,

(a) In clause (b) to sub-regulation (s) of regulation 2, after sub clause (iii) the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(iv) Dearness allowance calculated up to index number 1148 points in the All India Average Consumer Price Index for industrial workers in the series 1960=100,"

(b) In regulation 41, for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely :–

"(6) An applicant who is anthorized a superannuation pension or voluntary retirement pension or premature retirement pensiion or compulsory retirement pension or invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations;

Provided that on and from 1.7.2003, in case of an applicant in whose case, the commuted value of pension becomes payable on the day following the date of his retirement or from the date from which the commutation becomes absolute, the reduction in the amount of pension on account of commutation shall become operative from its inception. Where, however, payment of commuted value of pension could not be made within the first month after the date of retirement or within the first month after the date when the commutation becomes absolute as the case may be, the difference between the monthly pension and the commuted pension shall be paid for the period between the date following the date of retirement or the date when the commutation becomes absolute, as the case may be, and the date preceding the date on which commuted value of pension is deemed to have been paid."

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India on 29-9-95 (extraordinary) and subsequent amendments were published in the Gazette as under :—

Notification No.		Date
1.	13	27-03-1999
2.	71	08-04-2002
3.	03	18-01-2003

P. K. MITRA
General Manager

INDIAN OVERSEAS BANK
CENTRAL OFFICE

Chennai, the 30th July 2004

No. IRD/184/125/2004-05—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Indian Overseas Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend further the Indian Overseas Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, namely :—

1. Short title and commencement : (1) These Regulations may be called the Indian Overseas Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) (Amendment) Reulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the "Official Gazette".

2 In the Indian Overseas Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations 1976, for regulation 17, the following regulation shall be substituted, namely :—

"17 Appeal : (1) An officer employee may prefer an appeal to the Appellate authority within forty five days from the date of receipt of the order imposing upon him any of the penalties specified in regulation 4 or against the order of suspension referred to in Regulation 12 :

Provided that the Appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

(2) The appeal shall be presented to the Appellate authority with a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal from the appellant, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeal.

(4) The Appellate authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against, consider whether the order of suspension/ findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders. The Appellate authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty/suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that :

(i) if the enhanced penalty, which the Appellate authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case, the Appellate authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inqiry and pass such orders as it may deem proper;

(ii) If the Appellate authority decides to enhance the punishment but an enquiry has already been held as provided in regulation 6, the Appellate authority shall give a show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee,.

(5) The Appellate authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its receipt from the appellant :

Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angle and where major/ minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission, as the case may be, investigating the matter.

(6) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate authority and reasons for non-disposal of the cases shall be recorded in writing.

Foot Note : Earlier amendments to the Indian Overseas Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, were publsihed in the Gazette as per details given below :

S. No.	Notification No.	Dated
1.	21	27/05/1989
2.	20	19/05/1990
3.	38	20/09/1997
4.	44	28/10/2000
5.	18	05/05/2001

B. SWAMINATHAN
General Manager

SYNDICATE BANK

Manipal, the 27th July 2004

No. 1281/PD:IRD(O)/0089/Reg. 17—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Syndicate Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend further the Syndicate Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, namely :

1. Short title and commencement: (1) These Regulations may be called Syndicate Bank Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Syndicate Bank Officer Employees, (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, for regulation 17, the following regulation shall be substitute, namely:

"17 Appeal : (1) An Officer employee may prefer an appeal to the Appelate Authority within forty five days from the date of receipt of ths order imposing upon him any

of the penalties specified in regulation 4 or against the order of suspension referred to in regulation 12 :

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring ths appeal in time.

(2) The appeal shall be presented to the Appellate Autority with a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies but shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The anthority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal from the appellant, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate Authority within a period not exceeding forty five days from the date of the receipt of the appeals.

(4) The Appellate Authority shall on receipt of the comments and records of the case from the authority whose order is appealed against, consider whether the order of suspension/findings are justified or whether the penalty is excessive or inadequate and pass appropriate orders. The Appellate Authority may pass an order confirming, enhancing, reducing or setting aside the penalty/suspension or remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such directions as it may deem fit in the circumstances of the case.

Provided that

(i) If the enhanced penalty, which the Appellate Authority proposed to impose is a major penalty specified in clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 4 and an inquiry as provided in regulation 6 has not already been held in the case, the Appellate Authority shall direct that such an enquiry be held in accordance with the provisions of regulation 6 and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper;

(ii) If the Appellate Authority decides to enhance the punishment but an enquiry has alredy been held as provided in regulation 6, the Appellate Authority shall give a show cause notice to the officer employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shall pass final order after taking into account the representation, if any, submitted by the officer employee.

(5) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within a period of ninety days from the date of its recsipt from the appellant:

Provided that the time limit specified in this regulation shall not apply to cases having a vigilance angls and where major/minor penalty proceedings against the officer employee have commenced on recommendations of the Police or Central Bureau of Investigation or Central Vigilance Commission, as the case may be, investigating the matter.

(6) The cases lying pending over ninety days shall be reviewed periodically by the Appellate Authority and reasons for non-disposal of the cases shall be recorded in writing.

ALLEN C.A. PEREIRA
General Manager (P)

Foot Note : Earlier amendments to the Syndicate Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below :—

S. No.	Notification No.	Date
1.	1129/0089/PD:IRD(O) dt. 13.4.98	Issue No. dt. 2.5.1988
2.	4268/0089/PD:IRD(O)/Reg.6(2) dt. 29.11.2000	Issue No.53 dt. 30.12.2000
3.	1384/PD:IRD(O)/0089/Reg.18 dt. 27.4.2001	Issue No. 22 dt. 2.6.2001
4.	1385/PD:IRD(O)/0089/Reg.6 dt. 27.04.2001	Issue No. 22 dt. 2.6.2001

REGIONAL OFFICE

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
ESI HOSPITAL COMPLEX ; SECTOR II

Parwanoo, the 27th July 2004

No. 14.V34/13/1/86/Admn.—In exercise of the powers under Regulation 10-A of the ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, Regional Board, Himachal Pradesh has reconstituted the Local Committee consisting of the following members for the Barotiwala/Beddi areas (where Chapter IV and V of the ESI Act, 1948 are already in force) w.e.f. the date of Notification:—

CHAIRMAN

UNDER REGULATION 10-A (1) (a)

1. Sub Divisional Officer (C)
Nalagarh, Distt. Solan (HP)

MEMBERS

UNDER REGULATION 10-A (1) (b)

2. Labour Inspector,
Baddi, Distt. Solan (HP)

UNDER REGULATION 10-A (1) (c)

3. Medical Officer Incharge,
ESI Dispensary, Barotiwala
Distt. Solan (HP)

UNDER REGULATION 10-A (1) (d)

4. Sh. Ashwani Sharma, Chief Manager (P)
M/s. Auro Sppining Mills, Baddi, Distt. Solan (HP)

5. Sh. Manohar Tegta,
M/s. Unichem Laboratories Ltd.
Baddi, Distt. Solan (HP)

UNDER REGULATION 10-A (1) (e)

6. Sh. Gopal Sharma, President,
Raja Forging Workers' Union,
C/o M/s. Raja Forgings Ltd.,
Baddi, Distt. Solan (HP)

7. Sh. Shyam Thakur, President,
Pamwi Workers' Union,
C/o Pamwi Tissue, Jharmajri, Barotiwala
Distt. Solan (HP)

UNDER REGULATION 10-A (1) (f)

MEMBER-SECRETARY

8. Branch Manager,
ESI Corporation,
Baddi (HP).

By order

ARUN KUMAR
Regional Director

No. 14.V.34/13/1/86/Admn.—In exercise of the powers under Regulation 10-A of the ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, Regional Board, Himachal Pradesh has reconstituted the Local Committee consisting of the following members for the Solan areas (where Chapter IV and V of the ESI Act, 1948 are already in force) w.e.f. the date of Notification:—

CHAIRMAN

UNDER REGULATION 10-A (1) (a)

1. Sub Divisional Officer (C)
Solan (HP)

MEMBERS

UNDER REGULATION 10-A (1) (b)

2. Labour Inspector,
Solan (HP)

UNDER REGULATION 10-A (1) (c)

3. Medical Officer Incharge,
ESI Dispensary,
Solan (HP)

UNDER REGULATION 10-A (1) (d)

4. M/s Poonam Sharma, Senior Manager (P & A)
M/s. P. A. Pinion, Dharampur,
Distt. Solan (HP)

5. Brig. H. S. Sidhu,
M/s. Shivalik Biometal,
Bye-pass, Chambaghat, Distt. Solan (HP)

UNDER REGULATION 10-A (1) (e)

6. Sh. Ashok Kumar Singh, Senior Vice-President,
INTUC, Solan, Distt. Solan (HP)

7. Sh. Balwant Guleria,
Wireline, HFCL, Chambaghat,
Distt. Solan (HP)

UNDER REGULATION 10-a (1)(f)

MEMBER-SECRETARY

8. Branch Manager,
ESI Corporation,
Parwanoo (HP).

By order

ARUN KUMAR
Regional Director

No. 14.V.34/13/1/86/Admn.—In exercise of the powers under Regulation 10-A of the ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, Regional Board, Himachal Pradesh has reconstituted the Local Committee consisting of the following members for the Parwanoo areas (where Chapter IV and V of the ESI Act, 1948 are already in force) w.e.f. the date of Notification:—

CHAIRMAN

UNDER REGULATION 10-A (1) (a)

1. Assistant Commissioner,
(Protocol) Parwanoo,
Distt. Solan (HP)

MEMBERS

UNDER REGULATION 10-A (1) (b)

2. Labour Inspector,
Parwanoo, Distt. Solan (HP)

UNDER REGULATION 10-A (1) (c)

3. Medical Officer Incharge,
ESI Hospital, Parwanoo (HP)

UNDER REGULATION 10-A (1) (d)

4. Sh. B. N. Kataria, President, PIA, Kalima Plastic,
Parwanoo, Distt. Solan (HP)

5. Sh. Balwinder Singh, Manager, Gabriel India Ltd.,
Parwanoo, Distt. Solan (HP)

UNDER REGULATION 10-A (1) (e)

6. Sh. Amarjeet Singh Bawa, President, INTUC, HP,
Parwanoo, Distt. Solan.

7. Sh. Gulzar Singh, Gabriel India Ltd.,
Parwanoo, Distt. Solan (HP)

UNDER REGULATION 10-a (1)(f)

MEMBER-SECRETARY

8. Branch Manager,
ESI Corporation,
Parwanoo (HP).

By order

ARUN KUMAR
Regional Director

EMPLOYES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(HEAD OFFICE)

BHAVISHYA NIDHI BHAWAN

New Delhi-66, the 12th August 2004

No. CPFC.1(4)/2116/2004/MH—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	MH/AB/81340	M/s Excel Service	08.07.2003	08.07.2003
2.	MH/46771	M/s Fireware India Pvt. Ltd	05.08.2003	05.08.2003
3.	MH/46328	M/s Kalpataru Engineers	16.09.2002	16.09.2002
4.	MH/NK/52271	M/s Urja Electricals	15.12.2003	15.12.2003
5.	MH/AB/81471	M/s Taiyo Lucid Pvt. Ltd.	11.02.2004	11.02.2004
6.	MH/46969	M/s Abhay Laxmi Co-op Credit Society Ltd.	01.02.2004	01.02.2004
7.	MH/46748	M/s Itochu Pstroleum Co. PTE Ltd.	01.08.2003	01.08.2003

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the abovementioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI
Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

No. CPFC.1(4)/2119/04/TN—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :

S. No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1.	TN/38013	M/s. Sri Senthil Transport	01.10.1996	01.10.1996
2.	TN/43622	M/s. Infant Jesus English School	07.06.2000	07.06.2000
3.	TN/43623	M/s. Jeyam Nursing Home	12.06.2000	12.06.2000
4.	TN/43626	M/s. Aarthy Hospital	30.06.2000	30.06.2000
5.	TN/50590	M/s. The Tamil Nadu A.G's Office Staff Co-op Credit Society Ltd.	11.12.2003	11.12.2003
6.	TN/50616	M/s. S.M.S. Enterprises	11.02.2004	11.02.2004
7.	TN/50246	M/s. Pravisal Construction & Enterprises (P) Ltd.	06.03.2003	06.03.2003

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the abovementioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

S. R. JOSHI
Regional Provident Fund Commissioner (Compliance)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2003
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2003